संख्या : 75/2016/1221/छप्पन-2016-2/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 23 सितम्बर, 2016**

विषय : विंग कमां0 एम0के0 पाण्डेय, पायलट (फिक्स्ड विंग) को राजकीय हॉकर 900 एक्स0 पी0 वायुयान पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर दिनांक 27.9.2016 से 3.10.2016 तक मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई में सिमुलेटर पर अनिवार्य रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 52/ना0उ0वि0/आप्स-19/2015, दिनांक 30.8.2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या- 62/2016/1014/छप्पन-2016-2/2015, दिनांक 22.8.2016 एवं शासनादेश संख्या- 63/2016/1014(2)/छप्पन-2016-2/2015, दिनांक 22.8.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 पर मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई में विंग कमां0 एम0के0 पाण्डेय, पायलट (फिक्स्ड विंग) को सिमुलेटर पर अनिवार्य रिकरेन्ट ट्रेनिंग दिनांक 27.9.2016 से 3.10.2016 तक कराये जाने हेतु शुल्क भुगतान के रूप में यू0एस0 डालर 19500 जो भारतीय मुद्रा में रूपये 70/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) रूपये 13,65,000-00 (रूपये तेरह लाख पैंसठ हजार मात्र) होता है, के अग्रिम आहरण की स्वीकृति उक्त इंगित शासनादेश संख्या- 63/2016/1014(2)/छप्पन-2016-2/2015, दिनांक 22.8.2016 द्वारा दी गई है। उक्त प्रशिक्षण में जाने के लिए विदेश यात्रा एवं प्रशिक्षण शुल्क की स्वीकृति के पश्चात व्यय हेतु रूपये 2,47,300/- की धनराशि, वायुयान किराया, बीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता तथा होटल किराया के रूप में अग्रिम भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। अतः राज्यपाल महोदय रूपये 2,47,300/- (रूपये दो लाख सैंतालिस हजार तीन सौ मात्र) के अग्रिम आहरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त अग्रिम रूपये **2,47,300/-** (रूपये दो लाख सैंतालिस हजार तीन सौ मात्र) का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-**2774/**दस-15(1)/**69,** दिनांक **25.10.1983** एवं शासनादेश संख्या- ए-1-**235/**दस-2011-15(1)/**69,** दिनांक **10.06.2011** में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत अग्रिम आहरित धनराशि का समायोजन श्री पाण्डेय द्वारा देय यात्रा वीजक से करने के उपरान्त अग्रिम के समायोजन की सूचना तत्काल देने का कष्ट करें।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष **2016-17** के अनुदान संख्या-**38** के अन्तर्गत लेखा शीर्षक " **2070**-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-**114**-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-**03**-नागरिक उड्डयन निदेशालय-**42**-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 75/2016/1221(1)/छप्पन-2016 तददिनांक ।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in